(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के. जैन

सदस्य

प्रकरण क्रमांक- एक/अपील/टीकमगढ़/भू.रा./2018/2531 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-04-2018 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर का प्रकरण क्रमांक 716/बी-121/2017-18

.....

१- भारती इंफ्राटेल लिमिटेड
द्वारा श्रीयोगेश लोधा आत्मज श्री शांतिलाल लोधा
सर्किल हेड-कानूनी और नियामक (म.प्र. - छ.ग.)
भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड, मैटो टॉवर एच-3
चतुर्थ मंजिल, मैटो टॉवर,
विजय नगर चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)

२- राजाराम आत्मज रामचरण यादव
निवासी-ग्राम मोगना,
तहसील- मोहनगढ़, जिला-टीकमगढ़ (म.प्र.)

----------अपीलार्थीगण

विरूद्ध

श्रीमती रामकली खंगार सरपंच
पत्नी हरकिसन खंगार
सरपंच ग्राम पंचायत मोंगना,
तहसील मोहनगढ़, जिला- टीकमगढ़

----------प्रत्यर्थी

.....

श्री सुनील जादौन सिंह, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाष्क, प्रत्यर्थी

.....

16.10.18

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16.10.2018 को पारित)

यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-04-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी रामकली द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मोगना की भूमि खसरा क्रमांक 1414 में स्थित टॉवर को हटाये जाने हेतु आवेदन पत्र अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा दिनांक 11-04-2016 को प्रकरण पंजीबद्ध कर टॉवर लगाने पर रोक लगाने हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गई । राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 23-06-16 से निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर ने प्रकरण में अग्रिम कार्यावाही की और आदेश दिनांक 04-01-2018 से प्रत्यर्थी रामकली का आवेदन स्वीकार कर खसरा क्रमांक 1414 पर लगे मोबाईल टॉवर को हटाने के आदेश दिये । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 17-04-2018 से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

2/3

3/ मेरे द्वारा अपीलार्थीगण के अभिभाषक के तर्क एवं प्रत्यर्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को का परिशीलन किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा तहसीलदार मोहनगढ़ के समक्ष प्रश्नाधीन टॉवर के निर्माण को रोकने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 79/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06-04-2015 को टॉवर के निर्माण कार्य पर जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया है। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी ने उक्त टॉवर के निर्माण पर रोक

16.10.18

लगाने हेतु संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 32 के आवेदन का अवलोकन कर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि - अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम मोगना की भूमि खसरा नं. 1414 पर बिना डायवर्सन कराये और बिना ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी. के उक्त टॉवर का निर्माण किया है जो शासन के नियमों के अनुसार नहीं है, क्योंकि लगाये जाने वाला टॉवर व्यवसायिक है और व्यावसायिक कार्य किये जाने के पूर्व प्रश्नाधीन भूमि का डायवर्सन कराया जाना आवश्यक होता है, इससे शासन को भी आर्थिक क्षति हुई है। प्रत्यर्थी रामकली द्वारा भी कोई एन.ओ.सी दिये जाने से इन्कार किया है। ग्राम के विकास के लिये किसी भी कार्य को कराने के लिये पंचायत की बैठक बुलाकर उसमें डाले गये प्रस्ताव के आधार पर एन.ओ.सी. दी जाती है, जो इस प्रकरण में नहीं दी गई है। इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-04-18 का भी अवलोकन किया गया, जिसमें अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश को उचित माना है तथा मामला ग्राम पंचायत से संबंधित होने से टॉवर लगाये जाने हेतु ग्राम पंचायत की अनुमति का होना भी आवश्यक माना है। उक्त प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं. 1414 पर बिना डायवर्सन कराये एवं ग्राम पंचायत की अनुमति लिये बगैर टॉवर का निर्माण नहीं किया जा सकता । इस प्रकरण में न तो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र ही जारी किया गया है ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने जो निष्कर्ष निकाला है, उसमें कोई अवैधानिकता प्रकट न होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

3/3

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील निरस्त की जाती है। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 04-01-2018 एवं अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनांक 17-04-2018 यथावत रखा जाता है।

16.10.2018

(आर.के. जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,